सं0-31/2016/978/62-2-2016-2/3(07)/2015

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन स्वीकृत नई योजना मध्यम गहरे नलकूप की योजना (जिला योजना) में प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के जनपदवार फॉट संशोधित किये जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरित की गयी धनराशि रू0-58.14 लाख की साख सीमा को चतुर्थ त्रैमास में निर्गत किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-354/ल0सिं0/बजट-सीसीएल/2015-16, दिनांक 16-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-13 के अधीन स्वीकृत नई योजना मध्यम गहरे नलकूप की योजना (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-6866.64 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1471/62-2-2015-2/3(07)/2015, दिनांक 12.05.2015 व शासनादेश सं0-8666/62-2-2015-2/3(07)/2015, दिनांक 05.11.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-6866.64 लाख के जनपदवार फॉट को शासनादेश सं0-189/62-2-2016-2/3(07)/2015, दिनांक 16.02.2016 द्वारा संशोधित किये जाने के फलस्वरूप जनपद बुलन्दशहर को स्थानान्तरित धनराशि रू0-21.42 लाख तथा जनपद फतेहपुर को स्थानान्तरित धनराशि रू0-36.72 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-58.14 लाख (रू0-अटठावन लाख चौदह हजार मात्र) की साख सीमा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-46/दस-2000-24(2)/98, दिनांक 21.02.2000 के प्रस्तर-2(4) के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में जारी करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.02.2000 की शेष शर्ते तथा प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) सी0सी0एल0 का अन्तरण डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) में किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(3) जिस प्रयोजन के लिये सी0सी0एल0 जारी की जायेगी उसी मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर किसी बैंक/डाकघर खाता, डिपाजिट खाता आदि में नही जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत साख-सीमा की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होगी।

(6) प्रश्नगत साख-सीमा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सी0सी0एल0 इस प्रकार निर्गत की जाय कि कोषागारों की ई-पेमेन्ट की व्यवस्था के कारण राजकीय लेन-देन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(8) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि का आहरण/उपभोग पूर्व में नही किया गया है एवं प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/फॉट संशोधन संबंधी आदेश नियमानुसार/निर्धारित प्रक्रिया कें अनुसार निर्गत है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ए-2-45/दस-16, दिनांक 30.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

–

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

सं0-31/2016/978(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
7- वित्त लेखा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in